

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खगोलीयर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2352-पीबीआर/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-05-2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला खरगोन के प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2012-13

- 1—मनोज पिता रमेशचन्द्र जोशी
निवासी जमीदारी मोहल्ला खरगोन
2—नवनीत पिता गुलाबचन्द्र महाजन
निवासी चमेली की बाड़ी खरगोन

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1—ओमप्रकाश पिता रामरतन कुमारावत
2—सुभाष पिता रामरतन कुमारावत
3—राजेन्द्र पिता रामरतन कुमारावत
4—श्याम पिता रामरतन कुमारावत
निवासी वृन्दावन कॉलोनी खरगोन

..... अनावेदकगण

श्री ए०के०सिंघंल, अभिभाषक—आवेदकगण

श्री के०के०द्विवेदी, अभिभाषक—अनावेदकगण

.....
:: आ दे श ::
(आज दिनांक: 6/५/१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-05-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सम्बन्ध में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम भाड़ली तहसील खरगोन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 228 रकवा 1.87 हेक्टेयर है, दिनांक 16-4-13 को उक्त भूमि के सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदकगण 8-10 व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुये और उनके द्वारा कहा गया कि उक्त सम्पूर्ण भूमि उन्होंने क्य कर ली है और उनका कब्जा है, जबकि अनावेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि का विक्य आवेदकगण को नहीं किया गया है और उनके द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2012-13 दर्ज कर दिनांक 30-5-2015 को आदेश पारित प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि क्य किये जाने का अनुबंध पत्र विकेता द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया गया है एवं कब्जा भी सौंप दिया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा मानते हुये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का वर्ष 2007 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, परन्तु अनावेदकगण के मिथ्या कथन पर कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 3 माह पूर्व कब्जा किया गया है, विश्वास कर आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा सम्पूर्ण विक्य प्रतिफल रूपये 9,24,000/- अनावेदकगण को अदा कर प्रश्नाधीन भूमि क्य की गई है, इसलिये भूमि पर उनका अवैध कब्जा नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत अवैधक तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया गया है। आवेदकगण द्वारा किस

दिनांक को किस प्रकार से प्रश्नाधीन भूमि पर से अनावेदकगण को बेदखल किया गया है। उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, इसलिये उन्हें बेदखल करने संबंधी तहसील न्यायालय का पारित आदेश उचित है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार बाद भी प्रचलित होकर निरस्त हुआ है और प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदकगण को भूमिस्वामी माना गया है, इसलिये भी आवेदकगण को अवैध आधिपत्य हटाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का वर्ष 2007 से कभी कब्जा नहीं रहा है और उनके द्वारा 3 माह पूर्व ही प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, इसलिये उनका यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा वर्ष 2007 से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा है। उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं और अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा तर्क के दौरान कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के पक्ष में विक्य अनुबंध पत्र निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया है। मात्र विक्य अनुबंध पत्र निष्पादित होने से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और उनका प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध अतिकमण ही माना जायेगा। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है और अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहाँ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष

(Signature)

(Signature)

समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-05-2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोपाल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर